



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 18 राँची, बुधवार 28 श्रावण, 1942 (श०)
19 अगस्त, 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 115-121

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।****अधिसूचना****18 जून, 2020 ई०।**

संख्या-6/अभि०-22/01/2010- 1894 -- विभागीय अधिसूचना संख्या-6735, दिनांक 24.11.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न रूप से तीन सदस्यीय प्राधिकार समिति का पुनर्गठन किया जाता है :-

1.	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रतिनिधि।	श्री सतीश कुमार, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।
2.	अभियोजन निदेशालय के प्रतिनिधि।	श्री राज कुमार सिंह, उप निदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।
3.	विधि विभाग के प्रतिनिधि।	श्री रेमी प्रफूला बाः, विधि पदाधिकारी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

2. श्री सतीश कुमार, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची प्राधिकार समिति के अध्यक्ष होंगे।

3. श्री राज कुमार सिंह, उप निदेशक प्राधिकार समिति के सदस्य सचिव होंगे।

4. श्री सतीश कुमार की अनुपस्थिति में श्री राज कुमार सिंह, उप निदेशक प्राधिकार समिति के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना**14 मई, 2020 ई०।**

संख्या-13/आई०पी०एस०-112/2019- 1728 -- विभागीय अधिसूचना संख्या-844, दिनांक 17.02.2020, जिसके द्वारा श्री अनिल पालटा, भा०पु०से०, अपर पुलिस महानिदेशक-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग, कॉरपोरेशन, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11, 20 के तहत दिनांक-15.04.2020 से 01.05.2020 तक कुल-17 (सतरह) दिनों के उपार्जित अवकाश एवं उक्त अवधि में निजी व्यय पर विदेश (USA) जाने की अनुमति प्रदान की गई थी, को निरस्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना**28 जुलाई, 2020 ई०।**

संख्या-06/अभि०-निदे०-13/07/2015- 2387-- श्री राज कुमार सिंह, सम्प्रति उप निदेशक, अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, झारखण्ड, राँची को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-25-ए के अंतर्गत गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के नियंत्रणाधीन **निदेशक अभियोजन**, अभियोजन निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पद पर सातवाँ वेतनमान Level-13 में रु० 1,23,100/- नियुक्त किया जाता है।

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-25-ए के प्रावधानानुसार माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति (Concurrence) प्राप्त है।

3. इस पर माननीय मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त है।

4. श्री सिंह को निदेशित किया जाता है कि वह पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निदेशक अभियोजन के पद पर प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**अधिसूचना****30 जुलाई, 2020 ई०।**

संख्या--06/विविध-06/2018- 2416 -- W.P. (Civil) No.-699/2016 अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-14.12.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में चुने गये सांसदों/विधायकों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु विधि विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या-1899, दिनांक-27.09.2019 द्वारा राँची एवं धनबाद में जिला न्यायाधीश स्तर के 02 (दो) विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है, जिनका क्षेत्राधिकार निम्नरूपेण है:-

क्र०सं०	न्यायमंडल का नाम	क्षेत्राधिकार
1	राँची	चाईबासा, चतरा, डाल्टनगंज, गढ़वा, गुमला, जमशेदपुर, खूँटी, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, राँची, सरायकेला एवं सिमडेगा जिलों की स्थानीय सीमाएँ।
2	धनबाद	बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ एवं साहेबगंज जिलों की स्थानीय सीमाएँ।

2. उक्त विशेष न्यायालयों के लिए राँची एवं धनबाद जिला के जिला अभियोजन कार्यालय के द्वितीय वरीयतम अपर लोक अभियोजक को विशेष लोक अभियोजक के रूप में पदभिहित किया जाता है।

3. उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना
25 जून, 2020

संख्या-3/नि0सं0-9-150/2014 का०- 2980-- श्री दीपक कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-739/2003), संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय बचत निदेशालय, झारखंड, राँची का दिनांक 29.01.2020 से 23.02.2020 तक (कुल 26 दिन) झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना
4 जून, 2020

संख्या-3/नि0सं0-09-27/2018 का. 2701-- श्री भगवान झा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 604/03) सेवानिवृत्त अपर सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची का निम्न अवधियों को उपार्जित अवकाश की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है:-

- | | | |
|---|---|---|
| (i) <u>दिनांक 24.01.2006 से 04.02.2006 तक</u>
(कुल-12 दिन) | } | उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत। |
| (ii) <u>दिनांक 08.06.2007 से 12.06.2007 तक</u>
(कुल- 05 दिन) | | |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

24 जुलाई, 2020

संख्या-4/नि0 स0-12-116/2014-7499 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्रीमती ऐनी रिन्कु कुजूर, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-गुमला) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	ANNE RENKU KUJUR- (110021165672)	DC OFFICE GARHWA	<u>VISHUNPURA</u> <u>BLOCK, GARHWA</u> Block Development Officer	12/08/2010	25/02/2018

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,

सरकार के उप सचिव

जीपीएफ संख्या:DNB/POL/169

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

4 अगस्त, 2020

संख्या-12/एम₂-140/2012 (खण्ड)- 2752--केन्द्रीय संगठन सी०आर०पी०एफ० से झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्त एवं अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), प० सिंहभूम, चाईबासा के पद पर पदस्थापित श्री प्रणव आनन्द झा, उप-समादेष्टा, सी०आर०पी०एफ० की सेवा अधिसूचना निर्गत की तिथि से पैतृक संगठन महानिदेशालय, सी०आर०पी०एफ०, भारत सरकार को वापस की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव ।
